

संख्या:2266/एक-10-2022-33(11)/2021

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर, झांसी, महोबा, सीतापुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, मथुरा, बस्ती, गोरखपुर,
वाराणसी, बहराइच, जालौन, बाराबंकी, बलिया, सम्भल, बदायूँ, खीरी, औरैया,
चन्दौली एवं फतेहपुर।

राजस्व अनुभाग- 10

लखनऊ दिनांक:

26/12/2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों द्वारा राहत की वेबसाइट पर उपलब्ध "ऑनलाइन कृषि निवेश अनुदान पोर्टल" पर फीड की गयी सूचना/विवरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु कुल रु० 31,29,38,914 (रूपये इक्कीस करोड़ उन्तीस लाख अड़तीस हजार नौ सौ चौदह मात्र) की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि के बाढ़ मद-02 से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कॉलम-3 में अंकित धनराशि के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी के नियर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	2	3
1	सिद्धार्थ नगर	130000000
2	झांसी	90000000
3	महोबा	30000000
4	सीतापुर	30000000
5	श्रावस्ती	12929725

6	बलरामपुर	5445178
7	मथुरा	3650170
8	बस्ती	2795768
9	गोरखपुर	2391479
10	वाराणसी	2297144
11	बहराइच	1245960
12	जालौन	833332
13	वाराणसी	570850
14	बलिया	233626
15	सम्भल	207284
16	बदायूँ	155685
17	खीरी	71908
18	औरैया	55627
19	चन्दौली	51628
20	फतेहपुर	3550
योग		31,29,38,914

नियम व शर्त / प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक-10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से कृषि निवेश अनुदान आनलाइन माड्यूल के तहत जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/2020-NDM-I (Vol-II), दिनांक-10.10.2022 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दर निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष-2022-23 से प्रभावी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक

स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रु० 31,29,38,914 (रुपये इक्कतीस करोड़ उन्तीस लाख अड़तीस हजार नौ सौ चौदह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फंड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधित्व अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by सुधीर गर्ग

Date: 26-12-2022 16:33:57

(सुधीर गर्ग)

Reason: Approved

प्रमुख सचिव।

संख्या-2266(1)/एक-10-2022-33(11)/2021. तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० ।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र० ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-26/12/2022

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

2266
001-2266
51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मथुरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3650170 56110880	3650170 56110880
2	बदायूं-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	155685 7025682	155685 7025682
3	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3550 5104779	3550 5104779
4	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	90000000 376159152	90000000 376159152
5	जालौन-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	833332 76922447	833332 76922447
6	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2297144 73159440	2297144 73159440
7	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	233626 61665453	233626 61665453
8	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2391479 318189080	2391479 318189080
9	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2795768 116098603	2795768 116098603
10	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 367142664	30000000 367142664
11	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	71908 437806309	71908 437806309
12	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1245960 336828242	1245960 336828242
13	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	570850 277128872	570850 277128872
14	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	130000000 603973345	130000000 603973345
15	महोबा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 461300263	30000000 461300263
16	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	51628 21730725	51628 21730725
17	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5445178 563925655	5445178 563925655
18	औरैया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	55627 13997254	55627 13997254
19	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	12929725 289427180	12929725 289427180
20	सम्बल-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	207284 3088648	207284 3088648
	योग	वर्तमान प्रगामी	312938914 4466784673	312938914 4466784673

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया इकत्तीस करोड़ उन्तीस लाख अड़तीस हजार नौ सौ चौदह
रूपया चार अरब छियालीस करोड़ सरसठ लाख चौरासी हजार छः सौ तिहत्तर

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।